् छन्चीस-२ विच्च-

विषय:

सूचनार्थ पत्रों को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में।

स्थापना शाखा (गोपनीय)

का विभाग

पंजी. 3328, 3393/21-अ(स्था.)

कृपया विचाराधीन पत्र क्र. एफ 2–87/2016/26–2 दिनांक 28.07.2016 एवं क्र. 8199/2016/सड़सठ, दिनांक 18.10.2016 का अवलोकन कीजिए।

- (1) प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण ने अपने पत्र में समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्रता के मापदण्डों एवं दरों में किये गए परिवर्तन के संबंध में जारी आदेश की एक प्रति सूचनार्थ प्रेषित की है।
- (2) अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, आनन्द विभाग ने अपने पत्र में राज्य आनन्द संस्थान हेतु निदेशक के 2 तथा उप निदेशक के 4 पदों की पूर्ति हेतु योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये है।

अतः यदि मान्य हो तो उपरोनत दोनो पत्र विभाग में प्रचलित इंट्रानेट सिस्टम पर शासकीय सेवकों हेतु सूचनार्थ अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।

अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ प्रस्तुत।

प्रशा. अधिकारी (स्था.)

वरिष्ठ लेखाधिकारी

अधासिया (17)

122/10/16 22/10/16

17

Fiat

2460

मध्यप्रदेश शासन आनन्द विभाग, मंत्रालय

कमांक:

8 199/2016/सङ्सठ

भोपाल, दिनांक 1 8 OCT 2016

प्रति.

- 1 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2 समस्त, विभागाध्यक्ष मध्यप्रदेश
- समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश

विषय :- राज्य आनन्द संस्थान हेतु निदेशक / उप निदेशक के पद की पूर्ति बावत्।

आनन्द विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाईटी के रूप में राज्य आनन्द संस्थान का गउन किया गया है। इस संस्थान के कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। संस्थान हेतु निदेशक के 2 पद तथा उप निदेशक के 4 पदों की पूर्ति के लिये योग्य अधिकारियों की आवश्यकता है। निदेशक के पदों की पूर्ति उप सचिव/अपर कलेक्टर/ संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारियों से एवं उप निदेशक के पदों की पूर्ति डिप्टी . कलेक्टर/अवर सचिव/उप संचालक स्तर के अधिकारियों से की जाना है। आपके विभाग में इन श्रेणी के जो भी अधिकारी इन पदों पर प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने हेतु इच्छुक हों तो उनसे उनकी सहमति प्राप्त कर प्रतिनियुक्ति हेतु उनके नाम दिनांक 05.11.2016 तक आनन्द विभाग के ई-मेल एकाउन्ट anandsansthanmp@gmail.com पर प्रेषित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(इकबाल सिंह बैंस) अपर मुख्य सचिव म.प्र.शासन, आनन्द विभाग

य आनन्द संस्थान के अन्तर्गत कार्यों का विवरण

- आनन्द एवं सकुशलता को मापने के पैमानों की पहचान करना तथा उन्हें परिभाषित करना।
- राज्य में आनन्द का प्रसार बढ़ाने की दिशा में विभिन्न विभागों के बीच समन्वयन के लिये दिशा-निर्देश तय करना।
- आनन्द की अवधारणा का नियोजन नीति निर्धारण और
 क्रियान्वयन की प्रक्रिया की मुख्यधारा में लाना।
- आनन्द की अनुभूति के लिये एक्शन प्लान एवं गतिविधियों का निर्धारण।
- निरन्तर अन्तराल पर मापदण्डों पर राज्य के नागरिकों की मन:स्थिति का आंकलन करना।
- आनन्द की स्थिति पर सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करना।
- आनन्द के प्रसार के माध्यमों, उनके आंकलन के मापदण्डों में सुधार के लिये लगातार अनुसंधान करना।
- आनन्द के विषय पर एक ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना।

मध्यप्रदेश शासन. न्यांजिक स्थाय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय, चल्लम भवन

// man //

भोपाल, डिगार्केट७ सितम्बर, 2010

 मंत्रि—गरिएद द्वारा लिवे गर निर्णय के वरिप्रेष्ट्य च न्या प्रधान पीजना के प्रथम में माणनुष्ठों मने को में निम्नानुसार परिवर्तन 2050-2

चरान, सामाजिक स्थाय विभाग के प्रियंत्र क्रमांक एवं २-६८/१०१६/26-2. र स नारी किये गये विदेशों की पांडिफा-7 के अवर्ग रामा समाधिक पुरक्ष . तारस्य वृक्षानाम, विवास, भारेत्य हो। तथ निःशवत हितागहियों के छ० 150 /--- ् हो जाने वाली वंजन इसे का पुनरीक्षित करने हुये का उदार प्रिसह की - पुनरीक्षित दर माह सितम्बर 2016 सं प्रभावशील होटी जिलक रास्टविक लाभ

च नासन् समाजिक न्याय दिनाम के परिषत्र वानाक (व १ -वा / 2010 / 20-2. क्षावर्ष विथे गर्धे पात्रता के मानदण्ड में छोड़िका क्रमार्क १.1 स १.३ हार्क स्थापन्

े वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष आयु कं दिव्यांग जिनकी विश्वातक संक्ष्य या समसे चन इस महिलाई जोडी जाती है -्िक है तथा जो गरीवी रेपा के नीचे जीवन-यापन त ते हैं का दो जाने वाली ेशन अब " दिव्यांग शिक्षा प्रोत्काहन संधायता सिश" के नाम से ही जांकरी।

15 भें 59 वर्ष आयु के गरीवा रेखा के गीचे जीवन थापन एसा वाने विकासला त्यानकी विश्वकारा ४०% वा उससे अधिक है। (अर्थात ४२ ५ ५) वर्ष आयु के ४०% िक किन्तु 80% हो गाम निकायतता धारण करने चार निकायकणन जो भारत

गृहश्यम में निवासरत् समस्त अंगःवासी, जिनकी उम्र ७० वर्ष से अधिय छो।

विकार हारा मान्यसा प्राप्त वृद्धाश्रक्षे में निवासरत् अंतःवालियों को र्रांभ की राशि छुन - - कि विकास द्वारा स्वीकृत की जाएमी जिसकी सीमा के भीतर वृद्धांसम समाजित हैं और ा किसी भी प्रकार की पेशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हो। वृद्धायां। में निवासरत - ११ निश्वति संयुक्त / ७५ शंचालक, सामाजिक त्याय एवं निश्वतिजन कल्याम हार अंत के उत्ति ही संबंधित निकायों हारा पंशन स्वीकृति की कार्जवाही की जादेगी तथा = इत्यात् क्यानित खाइरण एवं संवित्तरण अधिकारी द्वारा पेशन भुगतान की कार्यवाही प्रचलित

समग्र सामाजिक मुस्सा पेंशन हो आदेश/परिपत्र क्रमांल एक २-२७/२०१०/२६-२. दा रहतार की जायेगी। भिन्नांक २, 06,2013 में अन्य निर्देश यथायत् रहेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा अदेशानुसार

(वीरेन्द्रं कुमीरे बाधम) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग